D.PHARM 2ND YEAR
PHARMACY LAW AND ETHICS
FSSAI ACT & RULE
2026-27
PHARMACY INDIA
LIVE

FOOD SUPPLEMENTS | खाद्य अनुपूरक

1. INTRODUCTION
2. DEFINITIONS
3. BRIEF OVERVIEW AND ASPECTS RELATED TO MANUFACTURE, STORAGE, SALE, AND LABELLING OF FOOD SUPPLEMENTS

1. परिचय
2. परिभाषाएँ
3. खाद्य अनुपूरकों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और लेबलिंग से संबंधित संक्षिप्त विवरण और पहलू

MANUFACTURE निर्माण | STORAGE भंडारण | SALE बिक्री | LABELLING लेबलिंग

INTRODUCTION

परिचय

An Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

ऐसा अधिनियम जो खाद्य से संबंधित कानूनों का एकीकरण करता है और भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना है और खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है, ताकि मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

MANUFACTURE निर्माण | STORAGE भंडारण | DISTRIBUTION वितरण | SALE बिक्री | IMPORT आयात

Definitions / परिभाषाएँ

(a) Adulterant / (क) 'Adulterant' / 'मिलावटकारी पदार्थ'

Adulterant means any material which is or could be employed for making the food unsafe or sub-standard or mis-branded or containing extraneous matter.

मिलावटकारी पदार्थ से अभिप्राय ऐसे किसी भी पदार्थ से है, जिसका उपयोग भोजन को असुरक्षित, निम्न-स्तरीय, मिथ्या-चिह्नित (mis-branded) बनाने या उसमें बाह्य अशुद्ध पदार्थ मिलाने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है।

Definitions / परिभाषाएँ

(b) Advertisement / (ख) 'Advertisement' / 'विज्ञापन'

Advertisement means any audio or visual publicity, representation or pronouncement made by means of any light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website and includes through any notice, circular, label, wrapper, invoice or other documents.

'विज्ञापन' से अभिप्राय किसी भी प्रकाश, ध्वनि, धुआँ, गैस, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से की गई किसी भी श्रव्य या दृश्य प्रचार, प्रस्तुति या चोषणा से है तथा इसमें किसी भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, चालान या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से किया गया प्रचार भी शामिल है।

(c) Chairperson / (ग) 'Chairperson' / 'अध्यक्ष'

Chairperson means the Chairperson of the Food Authority.

'अध्यक्ष' से अभिप्राय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

(d) “CLAIM”

(d) “दावा”

“Claim” means any representation which states, suggests, or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, and composition or otherwise.

“दावा” का अर्थ है कोई भी प्रतिनिधित्व जो यह बताता है, सुझाव देता है, या संकेत करता है कि किसी खाद्य पदार्थ में उसकी उत्पत्ति, पोषण संबंधी गुण, प्रकृति, प्रसंस्करण और संरचना या अन्यथा से संबंधित विशेष गुण होते हैं।

ORIGIN — NATURE — PROCESSING — COMPOSITION — QUALITIES

ASPECTS RELATED TO MANUFACTURE, STORAGE, SALE (FSSAI)

fssai
Food Safety and Standards Authority of India

01 This guide helps food businesses follow **FSSAI safety and hygiene** rules during **storage, transport, distribution, and sale** of food.

01 यह मार्गदर्शिका खाद्य व्यवसायों को भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के दौरान **FSSAI सुरक्षा और स्वच्छता नियमों** का पालन करने में मदद करती है।

02 It explains **legal requirements** in a simple and practical way for **easy compliance**.

02 यह **कानूनी आवश्यकताओं** को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाती है, जिससे **अनुपालन आसान** हो जाता है।

03 It promotes **Good Hygiene Practices (GHPs)** and **Good Manufacturing Practices (GMPs)**.

03 यह **अच्छी स्वच्छता प्रथाओं (GHPs)** और **अच्छी निर्माण प्रथाओं (GMPs)** को बढ़ावा देती है।

MANUFACTURE (निर्माण) → **STORAGE (भंडारण)** → **SALE (विक्रय)** → FOOD SHOP

SAFE FOOD • RIGHT PRACTICES • BETTER HEALTH

KEY ASPECTS (FSSAI) — प्रमुख पहलू (FSSAI)

fssai

1. Proper temperature control and food safety practices are essential to prevent contamination.

   उचित तापमान नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा प्रथाएं संदूषण को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

2. It ensures uniform safety standards at every stage of food handling.

   यह खाद्य प्रबंधन के प्रत्येक चरण में समान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है।

3. It supports proper record-keeping and routine safety checks.

   यह उचित रिकॉर्ड-रखरखाव और नियमित सुरक्षा जांच का समर्थन करता है।

TEMPERATURE CONTROL
तापमान नियंत्रण
»
SAFETY STANDARDS
सुरक्षा मानक
»
RECORD-KEEPING
रिकॉर्ड-रखरखाव
»
SAFETY CHECKS
सुरक्षा जांच

GENERAL RESPONSIBILITY
UNDER
FOOD SAFETY & STANDARDS ACT

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के
अंतर्गत
सामान्य उत्तरदायित्व

1. The FSSAI Act applies to all foods meant for human consumption, whether processed or unprocessed, including imported foods, GM foods, infant foods, packaged drinking water, alcoholic drinks, and water used in food preparation.

2. The primary responsibility of food safety lies with the Food Business Operator (FBO).

1. यह अधिनियम मानव उपभोग के लिए उद्देश्य सभी खाद्य पदार्थों पर लागू होता है, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या अपसंस्कृत, जिसमें आयातित खाद्य पदार्थ, जीएम खाद्य, शिशु आहार, पैकेज्ड पेयजल, मादक पेय और खाद्य तैयारी में उपयोग में लाया जाने वाला जल शामिल है।

2. खाद्य सुरक्षा की प्राथमिक उत्तरदायित्त खाद्य व्यापार संचालक (FBO) की होती है।

- ALL FOODS
- PROCESSED / UNPROCESSED
- IMPORTED FOODS
- GM FOODS
- INFANT FOODS
- PACKAGED DRINKING WATER
- ALCOHOLIC DRINKS
- WATER USED IN FOOD PREPARATION

RESPONSIBILITIES OF
FOOD BUSINESS OPERATOR (FBO)
fssai
खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO)
की जिम्मेदारियाँ
1
Every FBO must ensure that food complies with the Act and Rules at all stages: production, processing, import, storage, distribution, and sale.
PRODUCTION
PROCESSING
IMPORT
STORAGE
DISTRIBUTION & SALE
1
हर FBO को यह सुनिशिक करना होगा कि खाद्य पदार्क्ष अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी चरणों में अनुपालित हों: उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, भंडारण, वितरण और विक्रय।
उत्पादन
प्रसंस्करण
आयात
भंडारण
वितरण और विक्रय
2
FBOs must maintain minimum hygiene and sanitary standards as per Licensing Regulations.
LICENSED
2
FBOs को लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार न्यूनतम स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखना होगा।
SOAP
लाइसेंस
3
FBOs must follow improvement notices issued by authorities; failure may lead to suspension of license.
IMPROVEMENT NOTICE
FBO
3
FBOs को अधिकासिंर्ग द्वारा जारी सुधार नोटिसों का पालन करना होगा; अनुपालन न करने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
सुधार नोटिस
Ensures Food Safety
Protects Consumer Health
Ensures Legal Compliance
Builds Trust & Quality
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है
उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करता है
कानूनी अनुपालन सुनिश्चिन करता है
विश्वास और गुणवत्ता बढ़ाता है

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

1

The Central Government shall, by notification, establish a body to be known as the Food Safety and Standards Authority of India to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

1

केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नाम से एक निकाय स्थापित करेगी ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्दिष्ट कार्य किए जा सकें।

THE FOOD AUTHORITY SHALL BE A BODY CORPORATE

खाद्य प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा

2 The Food Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a seal with power to acquire, hold and dispose of property, both Movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

2 खाद्य प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसमें चिरस्थायी उत्तराधिकार होगा और एक मुहर होगी तथा संपत्ति, चाहे चल या अचल, को अर्जित करने, धारण करने और निपटाने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा या उस पर वाद किया जाएगा।

- PERPETUAL SUCCESSION
- SEAL
- ACQUIRE, HOLD & DISPOSE PROPERTY
- TO CONTRACT AND SUE OR BE SUED

- चिरस्थायी उत्तराधिकार
- मुहर
- संपत्ति, चल या अचल, को अर्जित, धारण और निपटाना
- अनुबंध करना और वाद करना या उस पर वाद किया जाना

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

fssai

3 The head office of the Food Authority shall be at Delhi.

3 खाद्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा।

4 The Food Authority may establish its offices at any other place in India.

4 खाद्य प्राधिकरण भारत में किसी अन्य स्थान पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है।

HEAD OFFICE: DELHI | OFFICES: ANY OTHER PLACE IN INDIA

COMPOSITION OF FOOD AUTHORITY

1 The Food Authority shall consist of a Chairperson and the following **twenty-two members** out of whom **one-third shall be women**, namely:

a **Seven Members**, not below the rank of a **Joint Secretary to the Government of India**, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the **Ministries or Departments** of the Central Government dealing with:

22 MEMBERS

खाद्य प्राधिकरण की संरचना

1 खाद्य प्राधिकरण एक अध्यक्ष और निम्नलिखित **बाईस सदस्यों** से मिलकर बनेगा, जिनमें से **एक-तिहाई महिलाएँ** होंगी, अर्थात:

a **सात सदस्य**, जो भारत सरकार के **संयुक्त सचिव** के पद से **निचले दर्जे के न हों**, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तथा जो क्रमश: केंद्रीय सरकार के **निम्नलिखित मंत्रालयों या विभागों** का प्रतिनिधित्व करेंगे:

COMPOSITION OF FOOD AUTHORITY

(a) Seven Members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, to be appointed by the Central Government, to respectively represent the Ministries or Departments of the Central Government dealing with:

(i) Agriculture
(ii) Commerce
(iii) Consumer Affairs
(iv) Food Processing
(v) Health
(vi) Legislative Affairs
(vii) Small Scale Industries

खाद्य प्राधिकरण की संरचना

(a) सात सदस्य, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से निम्नलिखित, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, क्रमश: केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे:

(i) कृषि
(ii) वाणिज्य
(iii) उपभोक्ता मामले
(iv) खाद्य प्रसंस्करण
(v) स्वास्थ्य
(vi) विधायी मामले
(vii) लघु उद्योग

WHO SHALL BE MEMBERS EX OFFICIO?

fssai

कौन सदस्य होंगे पदेन (ex officio) ?

MEMBERS EX OFFICIO

01 Two representatives from food industry of which one shall be from small scale industries.

02 Two representatives from consumer organisations.

03 Three eminent food technologists or scientists.

01 खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक लघु उद्योगों से होगा।

02 उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि।

03 तीन प्रतिष्ठित खाद्य प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या वैज्ञानिक।

WHO SHALL BE MEMBERS EX OFFICIO?

कौन सदस्य होंगे पदेन (ex officio) ?

MEMBERS EX OFFICIO

01 Five members to be appointed by rotation every three years, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories.

02 Two persons to represent farmers' organisations.

03 One person to represent retailers' organisations.

01 पाँच सदस्य हर तीन वर्ष में घूर्णन के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक का चयन क्रमश: प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट ज़ोन से एक-एक करके किया जाएगा ताकि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

02 दो व्यक्ति किसानों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

03 एक व्यक्ति खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करेगा।

APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

01

- The Chairperson and Members are appointed to ensure high competence, wide expertise, and fair geographic representation.

02

- The Chairperson is appointed by the Central Government from eminent food science experts or senior administrators (not below Secretary rank.

CHAIRPERSON

01

- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उच्च दक्षता, व्यापक विशेषज्ञता और निष्पक्ष भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाती है।

02

- अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा प्रख्यात खाद्य विज्ञान विशेषज्ञों या वरिष्ठ प्रशासकों में से की जाती है (जो सचिव पद से कम न हो)।

CHAIRPERSON

COMPETENCE • EXPERTISE • FAIR REPRESENTATION •

IMPORTANT PROVISIONS OF FOOD AUTHORITY

01

- All non-ex officio Members, including the Chairperson, are appointed by the Central Government based on the Selection Committee's recommendations.

02

- The Chairperson and non-ex officio Members cannot hold any other office.

03

- No food additive or processing aid is allowed in food unless it is approved under the Act and its regulations.

APPROVED

खाद्य प्राधिकरण के महत्वपूर्ण प्रावधान

01

- सभी गैर-पदेन सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शमिल हैं, का नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

02

- अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्य किसी अन्य पद पर नहीं रह सकते।

03

- कोई भी खाद्य योजक या प्रसंस्करण सहायक पदार्थ तब तक खाद्य में उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अधिनियम और उसके नियमों के तहत अनुमोदित न हो।

EXPLAINATION: PROCESSING AID

स्पष्टीकरण: प्रसंस्करण सहायक

"Processing aid" means any substance or material (not equipment or utensils) that is not eaten as a food ingredient itself, but is used during food processing for a technological purpose, and may leave small, unavoidable residues or derivatives in the final product.

- Substance or Material
- Not Equipment or Utensils
- Not Eaten as Food Ingredient
- Used During Food Processing
- For a Technological Purpose

May Leave Small, Unavoidable Residues or Derivatives in the Final Product.

- कोई भी पदार्थ या सामग्री
- उपकरण या बर्तन नहीं है
- स्वयं खाद्य सामग्री के रूप में नहीं खाया जाता
- खाद्य प्रसंस्करण के दौरान उपयोग किया जाता है
- तकनीकी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है

"प्रसंस्करण सहायक" का अर्थ है कोई भी पदार्थ या सामग्री (जो उपकरण या बर्तन नहीं है), जिसे स्वयं खाद्य सामग्री के रूप में नहीं खाया जाता, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के दौरान तकनीकी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, और जो अंतिम उत्पाद में छोटे, अनिवार्य अवशेष या व्युत्पन्न छोड़ सकता है।

CONTAMINANTS, NATURALLY OCCURRING TOXIC SUBSTANCES, HEAVY METALS, ETC.:

दूषक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातुएँ, आदि:

No article of food shall contain any contaminant, naturally occurring toxic substances or toxins or hormone or heavy metals in excess of such quantities as may be specified by regulations.

कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसे किसी भी दूषक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ या विष या हार्मोन या भारी धातुओं को निर्दिष्ट मात्राओं से अधिक मात्रा में नही रखेगा, जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

PESTICIDES, VETERINARY DRUG RESIDUES, ANTIBIOTIC RESIDUES AND MICROBIOLOGICAL COUNTS:

कीटनाशक, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष और सूक्ष्मजीव गणना:

01 No article of food shall contain insecticides or pesticides residues, veterinary drugs residues, antibiotic residues, solvent residues, pharmacological active substances and micro-biological counts in excess of such tolerance limit as may be specified by regulations.

01 कोई भी खाद्य पदार्थ कीटनाशक या कीटनाशकों के अवशेष, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष, विलायक अवशेष, औषधीय सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्मजीव गणना इस हद से अधिक मात्रा में नहीं रखेगा, जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट सहिष्णुता सीमा हो सकती है।

02 No insecticide shall be used directly on article of food except fumigants registered and approved under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).

02 कोई भी कीटनाशक किसी खाद्य पदार्थ पर सीधे उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय पंजीकृत और कीटनाशक अधिनियमा, 1968 (1968 का 46) के अंतर्गत स्वीकृत धूम्रीकारकों के।

EXPLANATION –
FOR THE PURPOSES OF THIS SECTION:

स्पष्टीकरण –
इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

01 PESTICIDE RESIDUE

means any substance present in food due to the use of pesticides, including their derivatives, metabolites, conversion products, reaction products, toxic impurities, and residues entering food from the environment.

01 कीटनाशक अवशेष

का अर्थ है भोजन में कीटनाशकों के उपयोग के कारण उपस्थित कोई भी पदार्थ, जिसमें उनोके व्युत्पन्न चयापचयी (मेटाबोलाईट्स), रूपांतरण उत्पाद (कन्वर्जन प्रोडक्ट्स), अभिक्रिया उत्पाद, विषैले अशुद्धियाँ और पर्यावरण से भोजन में प्रवेश करने वाले अवशेष शालिल हैं।

02 RESIDUES OF VETERINARY DRUGS

mean the parent drug or its metabolites (or both) present in any edible part of animal products, including related impurities.

02 पशुं चिकिसा दवाओं के अवशेष

का अर्थ है पशु उत्पादों के किसी भी खाद्य भाग में उपस्थित मूल दवा या उसके चयापचयी (मेटाबोलाइट्स) (या दोनों), और संबंधित अशुद्धियाँ।

NOTE: These definitions ensure food safety by controlling chemical and biological hazards and protecting public health.

नोट: ये परिभाषाएँ रासायनिक और जैविक खतरों को नियंत्रित करके भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और जन स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं।

PACKAGING AND LABELLING OF FOODS:

खाद्य पदार्थों का पैकेजिंग और लेबलिंग:

01 No packaged food can be manufactured, sold, distributed, or delivered unless it is properly labelled as per FSSAI regulations.

01 कोई भी पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ तभी निर्मित, बेचा, वितरित या डिलीवर किया जा सकता है, जब वह FSSAI विनियमों के अनुसार उचित रूप से लेबल किया गया हो।

02 Labels must not contain any false, misleading, or exaggerated claims about quality, quantity, nutrition, medicinal or therapeutic effects, or place of origin.

FALSE

02 लेबल पर गुणवत्ता, मात्रा, पोषण, औषधीय या चिकित्सीय प्रभाव, या उदगम स्थान के बारे में कोई भी गलत, भ्रामक या अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर किए गए दावे नहीं होने चाहिए।

गलत

QUALITY | QUANTITY | NUTRITION | MEDICINAL / THERAPEUTIC EFFECTS | PLACE OF ORIGIN

ACCURATE LABEL, SAFE FOOD

FOOD BUSINESS OPERATORS MUST ENSURE THAT THE PACKAGING, APPEARANCE, SHAPE, DESIGN, AND PRESENTATION OF FOOD DO NOT MISLEAD CONSUMERS.

खाद्य व्यवसाय संचालक यह सुनिश्चित करें कि खाद्य का पैकेजिंग, दिखावट, आकार, डिजाइन और प्रस्तुति उपभोक्ताओं को गुमराह न करें।

PACKAGING
Must be accurate and not deceptive.

APPEARANCE
Should not create a false impression.

SHAPE & DESIGN
Must not misrepresent the nature of the food.

PRESENTATION
Should not mislead consumers in any way.

HONEST PACKAGING, TRUE INFORMATION, SAFE CONSUMER

पैकेजिंग
सटीक और भ्रामक नहीं होनी चाहिए।

दिखावट
भ्रामक छवि पैदा नहीं करनी चाहिए।

आकार और डिज़ाइन
खाद्य की वास्तविक प्रकृति को गलत रूप से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुति
किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए।

ANY INFORMATION GIVEN THROUGH LABELS, ADVERTISEMENTS, OR DISPLAYS MUST BE TRUTHFUL AND CLEAR.

लेबल, विज्ञापन या प्रदर्शन के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी सत्य और स्पष्ट होनी चाहिए।

RESTRICTIONS OF ADVERTISEMENT AND PROHIBITION AS TO UNFAIR TRADE PRACTICE:

विज्ञापन पर प्रतिबंध और अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक:

01 No food advertisement shall be misleading, deceptive, or against the provisions of the Act, rules, or regulations.

02 No person shall use unfair trade practices to promote food sale or consumption.

Truthful Advertisement, Fair Practice, Safe Consumer.

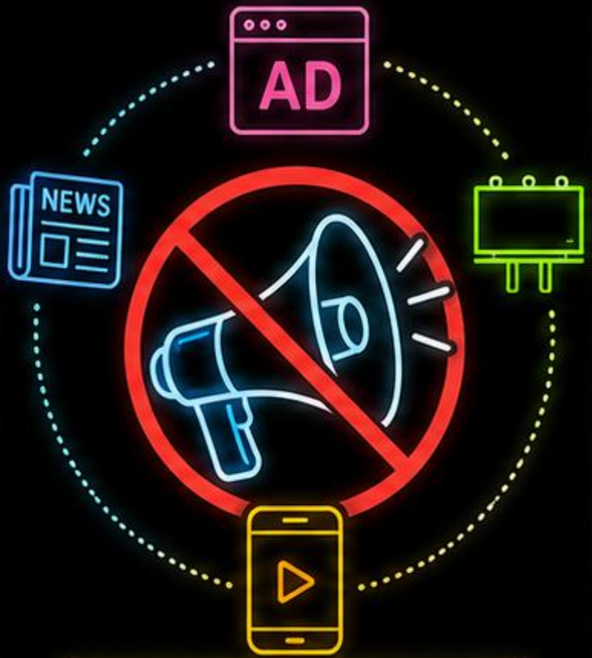

NO MISLEADING ADS.
NO UNFAIR PRACTICES.
PROTECT CONSUMERS.

01 कोई भी खाद्य विज्ञापन भ्रामक, धोखाधड़ीपूर्ण, या अधिनियम, नियमों या विनियमों के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

02 कोई भी व्यक्ति खाद्य बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का उपयोग नहीं करेगा।

सत्य विज्ञापन,
न्यायपूर्ण व्यवहार, सुरक्षित उपभोक्ता।

UNFAIR PRACTICES INCLUDE MAKING STATEMENTS THAT:

अनुचित व्यापार व्यवहार में ऐसे कथन करना शामिल है:

a Falsely claim a particular standard, quality, quantity, or grade of food.

PREMIUM

b Give false or misleading information about the need for or usefulness of the food.

MIRACLE RESULTS!

c Claim guaranteed efficacy without proper scientific evidence.

100% GUARANTEED

If someone claims that their guarantee is scientifically justified, the burden of proof lies on that person.

a किसी विशेष मानक, गुणवत्ता, मात्रा या ग्रेड का झूठा दावा करना।

उत्कृष्ट गुणवत्ता

b भोजन की आवश्यकता या उपयोगिता के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी देना।

चमत्कारी परिणाम!

c उचित वैज्ञानिक प्रमाण के बिना निश्चित प्रभावशीलता (गारंटी) का दावा करना।

100% गारंटी

यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसकी गारंटी वैज्ञानिक रूप से उचित है, तो उस व्यक्ति पर इसका प्रमाण देने का दायित्व होगा।

@PharmacyIndiaLive

Frequently asked questions
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

1. Explain the objectives, scope and importance of the Food Safety and Standards Act (FSS Act) in India.

भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के उद्देश्यों, क्षेत्र और महत्व की व्याख्या कीजिए।

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

@PharmacyIndiaLive

PHARMACY INDIA LIVE

2. Describe the role, powers and functions of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की भूमिका, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

Download PHARMACY INDIA App from play store

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

3. Explain the composition and structure of the Food Authority. How is fair representation ensured?
खाद्य प्राधिकरण की संरचना एवं संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें संतुलित प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

@PharmacyIndiaLive

4. Discuss the general responsibilities of Food Business Operators (FBOs) under the Food Safety & Standards Act.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) की सामान्य जिम्मेदारियों को समझाइए।

Download PHARMACY INDIA App from play store

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

@PharmacyIndiaLive

5. Explain the aspects related to manufacture, storage and sale of food as per FSSAI guidelines.

FSSAI के अनुसार खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय से संबंधित पहलुओं का वर्णन कीजिए।

Download Pharmacy India Mobile App from Play Store

PHARMACY INDIA
STAR BTEUP
2ND YEAR CHAPTER WISE QUESTION BANK & SOLVED PAPERS
STAR BTEUP
Diploma in Pharmacy
COMMUNITY PHARMACY & MANAGEMENT
BIOCHEMISTRY & CLINICAL PATHOLOGY
PHARMACY LAW & ETHICS
PHARMACOTHERAPEUTICS
HOSPITAL & CLINICAL PHARMACY
PHARMACOLOGY
ORDER NOW!
CASH ON DELIVERY
AVAILABLE ON
amazon
Flipkart
meesho
6395596959
8006781759

PHARMACY INDIA

COD AVAILABLE ON

Flipkart amazon meesho

Contact for any Query - 6395596959

GET IT ON Google Play

PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in

PHARMACY INDIA

COD AVAILABLE ON

Flipkart amazon meesho

Contact for any Query - 6395596959

GET IT ON Google Play

PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in

D.Pharma 2nd year
Bilingual Book (द्विभाषी पुस्तक)
As per the PCI Syllabus
पी.सी.आई. पाठ्यक्रम के अनुसार
PHARMACOLOGY
फार्माकोलॉजी
ER20-21T
COMMUNITY PHARMACY & MANAGEMENT
सामुदायिक फार्मेसी और प्रबंधन
ER20-22T
BIOCHEMISTRY & CLINICAL PATHOLOGY
जैवरसायन और नैदानिक विकृति विज्ञान
ER20-23T
HOSPITAL & CLINICAL PHARMACY
अस्पताल और नैदानिक फार्मेसी
ER20-25T
PHARMACOTHERAPEUTICS
फार्माकोथेरेप्यूटिक्स
ER20-24T
PHARMACY LAW & ETHICS
फार्मेसी कानून और नीतिशास्त्र
ER20-26T
As per latest PCI Syllabus
Diploma in Pharmacy
द्विभाषी पुस्तक
(English & Hindi)
D.Pharma 2nd Year
Author
CASH ON DELIVERY
AVAILABLE ON
amazon
Flipkart
meesho

DOWNLOAD PHARMACY INDIA

MOBILE APP

FROM PLAY STORE

DAILY UPDATES

जुड़िए PHARMACY INDIA के साथ.........

WHATSAPP & TELEGRAM SE JUDNE KE LIYE QR CODE KO SCAN KAREIN

THANK

YOU!